



प्रेस विज्ञप्ति

05.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 4/7/2024 को मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल एक व्यक्ति सकतार सिंह उर्फ लाड्डी को गिरफ्तार किया है। उन्हें 05/07/2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने तीन दिन की ईडी हिरासत दी है।

ईडी ने पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज 03 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, पीएमएलए, 2002 के धारा 17 के प्रावधानों के तहत 03.02.2023 को तहसील नौशेरन पत्रूआं के गांव शेरोन और नौशेरन पन्नुआन और तहसील तरनतारन के गांव बुघा में स्थित 10 परिसरों पर तलाशी कार्रवाई की गई। तलाशी के दौरान अपराध-संकेती दस्तावेजों के अलावा, नशीले पदार्थ और हथियार बरामद किए गए। एनसीबी अधिकारियों ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक अलग आपराधिक मामला दर्ज किया।

ईडी की जांच से पता चला कि सकतार सिंह और उनके परिवार के सदस्य पंजाब के तरनतारन जिले में कई वर्षों से अवैध नशीली दवाओं के व्यापार में गहराई से लिप्त हैं। जांच के दौरान यह पाया गया कि सकतार सिंह ने अवैध नशीली दवाओं के व्यापार से उत्पन्न अपराध के आगमों के माध्यम से अपने नाम और परिवार के सदस्यों के नाम पर बड़ी संख्या में अचल संपत्तियां अर्जित की हैं।

आगे की जांच जारी है।